

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय)

परियोजना कार्यान्वयन इकाई, अलीगढ़

National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways)

Project Implementation Unit, Aligarh

31 एवं 32, ड्रीम सिटी कॉलोनी (बाल जवान घुट्टी के सामने), जी० टी० रोड, सारसोल, अलीगढ़-202 001 (उ० प्र०)

31 & 32, Dream City Colony. (Opp. Bal Jwan Ghutti), G. T. Road, Sarsol Aligarh - 202 001 (U. P.)

Mob.: 9412730116

E-mail: aligarh@nhai.org

nhai@pubs001@gmail.com

भा0रा0रा0प्रा0 / प0क0ई0-अली0 / 15017 / P-II / 2017 / डी0-9270

दिनांक: 07.10.2017

सेवा में

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
एटा (उ०प्र०)।

विषय: राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-91 पर जनपद-एटा के किमी० 186.000 से किमी० 229.000 तक मार्ग को चार लेन बनाने हेतु संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत के सम्बन्ध में।

संदर्भ: आपका कार्यालय पत्रांक सं० 657/14-1 एटा, दिनांक 26.09.2017।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसमें संशोधित प्रस्ताव की हार्ड कॉपी उपलब्ध कराने तथा संयुक्त निरीक्षण हेतु कहा गया है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि संशोधित प्रस्ताव की 06 प्रतियाँ अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की जा रही हैं।

सम्बन्धित स्ट्रैच का संयुक्त निरीक्षण पूर्व में दिनांक 26.03.2017 को किया जा चुका है, जिसमें श्री सुधेश भारती, क्षेत्रीय वनाधिकारी, एटा एवं श्री जसबिन्दर सिंह (परियोजना निदेशक), प०क०ई०-अलीगढ़ उपस्थित थे, संयुक्त निरीक्षण के समय पाया गया कि परियोजना में 64.967 है० के स्थान पर 65.495 है० संरक्षित वन भूमि प्रभावित हो रही है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त से अवगत होते हुए अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
07.10.2017
(पी०पी० सिंह),

परियोजना निदेशक

प्रतिलिपि:-

संशोधित प्रस्ताव की 06 प्रतियाँ।

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ प्रेषित।

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, लखनऊ।

2. वन संरक्षक, अलीगढ़ वन, अलीगढ़।

3. जिलाधिकारी, एटा।

4. मै० साई कन्सल्टिंग इंजीनियर्स प्रा०लि०, फरीदाबाद को इस आशय से प्रेषित कि वे कार्यालय में सम्पर्क कर अग्रिम कार्यवाई को सुनिश्चित करें।